रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042020-219106
CG-DL-E-22042020-219106

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2020/वैशाख 2, 1942
No. 202] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2020/VAISAKHA 2, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2020

सा.का.नि.261(अ).—धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से आश्वस्त होते हुए कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित रिपोर्टिंग एजेंसियां, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम 2016 (18 का 2016) के सुरक्षा व गोपनीयता के मानकों के अनुकूल है, और ऐसा करना आवश्यक व समीचीन है, व आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम 2016 की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और नियामक प्राधिकारी अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से परामर्श के पश्चात, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा निम्न तालिका में निर्दिष्ट की गई रिपोर्टिंग एजेंसियों को धन- शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11ए के तहत आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार प्रमाणीकरण सेवा के कार्य सम्पन्न करने के लिए अधिसूचित करती है यथा–

तालिका

क्र.सं.	नाम
(1)	(2)
1.	बाम्बे स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड
2.	नेशनल सिक्योरिटि डिपाजिटरी लिमिटेड
4.	सीडीएसएल वेनचर्स लिमिटेड
5.	एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेण्ट लिमिटेड
6.	एनएसइ डेटा एण्ड एनालिटिक्स लिमिटेड
7.	सीएएमएस इनवेस्टर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड
8.	कम्पयूटर एज मैनेजमेण्ट सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड
9.	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

[फा. सं. पी-12011/7/2019-इएस सेल-डीओआर]

ऋत्विक पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2020

G.S.R. 261(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government on being satisfied that the reporting entities mentioned in the Table below comply with standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016 (18 of 2016) and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and the regulatory authority, namely the Securities and Exchange Board of India, hereby notifies the reporting entities specified in the Table below to undertake Aadhaar authentication service of the Unique Identification Authority of India under section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002, namely:-

TABLE

S. No.	Name
(1)	(2)
1.	Bombay Stock Exchange Limited
2.	National Securities Depository Limited
3.	Central Depository Services (India) Limited
4.	CDSL Ventures Limited
5.	NSDL Database Management Limited
6.	NSE Data and Analytics Limited
7.	CAMS Investor Services Private Limited
8	Computer Age Management Services Private Limited
9.	Link Intime India Pvt. Ltd.

[F.No.P-12011/7/2019-ES Cell-DoR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.04.22 21:37:06 +05'30'